भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 589
उत्तर देने की तारीख 20 नवम्बर, 2019

मोबाइल टावरों के लिए दिशा-निर्देश

589. श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेल फोन टावरों के लिए मंत्रालय द्वारा कितनी विकिरण सीमा तय की गई है;
(ख) मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले मोबाइल टावरों की संख्या कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या नए दिशानिर्देश सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीएस) की नेटवर्क गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या टीएसपी को देश भर में नए टावर लगाने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नेटवर्क गुणवत्ता बनाए रखने और कॉल-ड्रॉप में कमी के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गए हैं?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) संचार मंत्रालय ने विभिन्न मोबाइल टावरों पर संस्थापित किए गए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) के लिए कोई नई विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) उत्सर्जन सीमा निर्धारित नहीं की है। भारत में विभिन्न मोबाइल टावरों पर संस्थापित बीटीएस के लिए तय की गई मौजूदा ईएमएफ उत्सर्जन सीमा निम्नलिखित है और इसके लिए दिनांक 10.01.2013 को लाइसेंस संशोधन जारी किया गया था:

आवृत्ति सीमा	ई-फील्ड क्षमता (वोल्ट/मीटर)	उच्च-फील्ड क्षमता (एम्प/मीटर)	पावर घनत्व (वाट/वर्ग.मीटर)
400 मेगाहर्ट्ज से 2000 मेगाहर्ट्ज	0.434एफ $^{1/2}$	0.0011एफ $^{1/2}$	एफ/2000
2 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज	19.29	0.05	1

(एफ मेगाहर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी के लिए)

ये मानदंड गैर-आयनीकृत विकिरण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीएनआईआरपी) द्वारा निर्धारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा संस्तुत सुरक्षा सीमाओं की तुलना में 10 गुना अधिक सख्त है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इन निर्धारित मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सु-संरचित प्रक्रिया एवं समुचित प्रणाली अपनाई है। दिनांक 31.05.2019 तक 334 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) निर्धारित ईएमएफ विकिरण सीमा से अधिक पाए गए हैं। दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों ने दोषी पाए गए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर वित्तीय शास्ति लगाई है। इसके साथ ही, दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा एलएसए में अनुपालन नहीं करने वाले एक बीटीएस को बंद कर दिया गया था। अनुपालन नहीं करने वाले शेष बीटीएस के लिए, विकिरण स्तर को निर्धारित विकिरण सीमा के भीतर लाया गया है।

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विनियामक अनुपालन, लाइसेंस शर्तों को पूरा करने के लिए क्षेत्र की उचित कवरेज हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) नेटवर्क योजना के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर मोबाइल टावर स्थापित/उपलब्ध कराए जाते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए जारी किए गए सलाहकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशेष स्थल पर टावर संस्थापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ड़) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा की गुणवत्ता जिसमें कॉल ड्रॉप का मुद्दा शामिल है, "बुनियादी (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा नियमों की सेवा गुणवत्ता हेतु मानक" सेवा गुणवत्ता विनियम संसूचित किए हैं और इस विनियम के अनुसार ट्राई सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन करेगा। ट्राई द्वारा जारी सेवा-गुणवत्ता विनियम में, कॉल ड्रॉप सहित विभिन्न सेवा गुणवत्ता मानदंडों के लिए बेंचमार्क के साथ गैर-अनुपालन पर वित्तीय निरुत्साहन लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

****